Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-12* *December 2025***

www.researchvidyapith.com **ISSN (Online): 3048-7331**

बीसलपुर बांध परियोजना में संचालित मत्स्यनः विकास और चुनौतियों का भौगोलिक अध्ययन

अनिल वर्मा

शोधार्थी, भूगोल विभाग, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान

डॉ० अभिषेक श्रीवास्तव

सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान

शोध सारांश–

प्रस्तुत शोधपत्र टोंक जिला, राजस्थान में स्थित बीसलपुर बांध परियोजना में किए जा रहे मत्स्यन कार्य के विकास एवं उसमें आ रही चुनौतियों के भौगोलिक अध्ययन पर केन्द्रित है। प्रस्तुत शोधपत्र में बीसलपुर बांध का परिचय, उसमें संचालित मत्स्यन प्रबंधन, मत्स्याखेट में संलग्न कारिंदों की नियुक्ति, उपलब्ध मछलियों की विभिन्न प्रजातियों तथा मत्स्यन में आ रही समस्याओं एवं संबन्धित व्यावहारिक सुझावों का विस्तृत विवेचन किया गया है। मत्स्यन कार्य के विकास एवं उसमें मौजूद चुनौतियों के अध्ययन हेतु शोधकर्त्ताओं द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के संकलित आँकड़ों को आधार बनाया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के लिए शोधकर्त्ताओं द्वारा यादृच्छिक निदर्शन विधि को अपनाते हुए बीसलपुर बांध में मत्स्यन से जुड़े कर्मचारियों, मछुआरों तथा स्थानीय निवासियों से जानकारी जुटाई गई है। द्वितीयक आँकड़ों के अंतर्गत शोधकर्त्ताओं द्वारा पूर्व में प्रकाशित शोधपत्रों एवं सरकारी रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया है।

संकेताक्षरः बीसलपुर बांध, मत्स्यन विकास, मछलियों की नस्लें, चुनौतियाँ और समाधान, भौगोलिक अध्ययन

परिचय

समुद्री क्षेत्र से दूरी तथा विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल के चलते राजस्थान राज्य की जलवायु शुष्क एवं विषम प्रकृति की है जिसके चलते दुर्भिक्ष एवं पेयजल की समस्याएँ यहाँ स्थायी रूप से मौजूद रही हैं। उपलब्ध जलवायविक दशाओं के अनुरूप राज्य में कृषि के अंतर्गत फसलोत्पादन की अपेक्षा पशुपालन को अधिक प्रायिकता प्रदान की जाती रही है। दुर्भिक्ष एवं पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए बड़े बांधों का निर्माण कराया गया है जिनमें बीसलपुर बांध अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान के टोंक जिले की देवली तहसील में बनास नदी पर निर्मित एक बहूद्देशीय परियोजना है जो कि वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई थी (ऑफिस ऑफ एडीशनल चीफ इंजीनियर, 2020)। यह 25° 55 उत्तरी अक्षांश एवं 75° 27 पूर्वी देशांतर के प्रतिच्छेदन बिन्दु पर स्थित है (कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, 2020)। अपनी कुल 1095 मिलियन क्यूबिक मीटर भराव क्षमता के आधार पर बीसलपुर बांध को राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल किया जाता है। पेयजल एवं सिंचाई के अतिरिक्त बीसलपुर बांध मत्स्यन के दृष्टिकोण से भी एक महत्त्वपूर्ण बांध है जिसे मत्स्य निदेशालय ने 'क–श्रेणी' के अंतर्गत स्तरीकृत किया है (राजस्थान मत्स्य नियम, 1958/1997/2003, नियम 5(1)(ड़))। बीसलपुर बांध में मत्स्यन एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में संचालित है। यहाँ मत्स्यन का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर संचालित न कर के अप्रत्यक्ष रूप से ठेका प्रणाली एवं ई–नीलामी प्रक्रिया के आधार पर संचालित किया जाता है जो कि अग्रवर्णित है।

ठेका प्रणाली एवं ई–नीलामी प्रक्रिया

बीसलपुर बांध परियोजना में मत्स्यन कार्य राज्य सरकार द्वारा संचालित ठेका प्रणाली के आधार पर किया

जाता है। बांध को ठेके पर दिए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया निदेशक, मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान द्वारा संचालित की जाती है। ठेका प्रणाली को वर्ष 1999–2000 से निरंतर संचालित किया जा रहा है। शोधकर्त्ताओं को प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेका प्रणाली के अंतर्गत 'क–श्रेणी' के जलाशयों के लिए नीलामी बोली प्रपत्र शुल्क 1000 रु० निर्धारित किया गया है (निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, 2022)। राज्य सरकार की ओर से यह ठेका नीलामी प्रक्रिया के अनुसार चयनित अमुक एजेंसी को 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। नियमानुसार इन 5 वर्षों के दौरान ठेकेदार की ओर से प्रति वर्ष ठेके का 12 प्रतिशत् की बढ़त के साथ नवीनीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर ठेका स्वतः अप्रभावी हो जाता है एवं प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर निदेशालय, मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुनः ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है जिसके तहत नवीन आवेदनों की प्राप्ति की जाती है। ई–नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत बांध में मत्स्य आखेट हेतु ठेका प्रदान किया जाता है।

शोधकर्त्ताओं द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार ठेका अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में 4 करोड़ 23 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था जो कि प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत् की बढ़त के साथ वर्ष 2025–26 के लिए 5 करोड़ 94 लाख रुपए का जारी किया गया है (प्रबंधक, मत्स्य केन्द्र, बीसलपुर, देवली, टोंक, व्यक्तिगत साक्षात्कार, 7 नवंबर 2025)।

तालिका संख्याः 1.1; **ठेगा अदायगी हेतु जारी टेंडर राशि**

क्रम संख्या	वर्ष	टेंडर राशि (रु०)
1	2022-23	4,23,00,000
2	2023-24	4,73,76,000
3	2024-25	5,30,61,120
4	2025-26	5,94,28,454

स्रोतः प्रबंधक, मत्स्य केन्द्र, बीसलपुर, देवली, टोंक, व्यक्तिगत साक्षात्कार, 7 नवंबर 2025

मछुआरों की नियुक्ति

ठेकेदार की एजेंसी के द्वारा मछुआरों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई तौर पर की जाती है जिसमें स्थानीय मछुआरों के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आए मछुआरों को भी मत्स्यन के कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति पूर्णतः संविदा एवं दैनिक पारिश्रमिक पर आधारित होती है। वर्तमान में बीसलपुर बांध में मत्स्यन कार्य में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कुल 873 कारिंदे संलग्न हैं। शोधकर्त्ताओं द्वारा सर्वेक्षण के दौरान 873 कारिंदों में से 50 कारिंदों को निदर्शन के रूप में चयनित किया गया है जो कि कुल कारिंदों के 5.72 प्रतिशत् को व्यक्त करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान 50 कारिंदों में से मात्र 15 स्थानीय जबकि 35 अन्य राज्यों से पाए गए थे (तालिका संख्याः 1.2)।

तालिका संख्याः 1.2; **बीसलपुर बांध में नियुक्त कारिंदे**

क्रम संख्या	उत्तरदाता	मूल-स्थान	कुल संख्या
1	6	मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश)	35
2	11	वाराणसी (उत्तरप्रदेश)	
3	3	उमरिया (मध्यप्रदेश)	
4	4	पूर्णिया (बिहार)	
5	7	हावड़ा (प० बंगाल)	
6	4	थाणे (महाराष्ट्र)	
7	15	स्थानीय निवासी	15
कुल			**50**

स्रोतः शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया सर्वेक्षण दिनांक 7 नवंबर 2025

तालिका संख्याः 1.2 को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एजेंसी द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्त किए जाने में प्रायिकता प्रदान नहीं की जा रही है। बीसलपुर बांध में मत्स्यन कार्य में नियुक्त अधिकांश मछुआरे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से हैं। स्थानीय कारिंदे बंगाली कॉलोनी (देवली), राजमहल, टोड़ा रायसिंह एवं थडोली स्थानों से यहाँ प्रतिदिन आया करते हैं।

बांध में उपलब्ध मछली की नस्लें

बीसलपुर बांध में मछलियों की 50 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं (जनगणना संचालन निदेशालय,

राजस्थान, 2011, पृष्ठ 19)। ये मछलियाँ अपने स्वाद एवं गुणवत्ता हेतु देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जाती हैं। इनमें कैटफिश, सिंघाड़ा, कटला, बाम, कटेर, रोहू, लांची, कुर्सा, टाइगर, सांवल, ग्रासकर, बेकड़ी आदि प्रमुख हैं। इन मछलियों के राजस्थान में प्रचलित बाजार मूल्य को तालिका संख्या 1.3 के माध्यम से दर्शाया गया है। बीसलपुर बांध से प्राप्त मछलियों की प्रमुख नस्लें अग्रवर्णित हैं।

तालिका संख्याः 1.3; बीसलपुर बांध से पकड़ी गई मछली की नस्लें और उनका बाजार मूल्य

क्रम संख्या	मछली की नस्ल	मूल्य (रु० प्रति किग्रा०)
1	कैटफिश	150-250
2	वाटर चेस्टनट फिश (सिंघाड़ा)	300-400
3	कटला	180-230
4	बाम (ईल)	300-400
5	कैटर	120-170
6	रोहू	150-220
7	लांची	300-400
8	कुरसा	110-160
9	टाइगर	250-300
10	सावल	100-150
11	ग्रासकर	100-140
12	बेकड़ी	80-120

स्रोतः मत्स्य विभाग, जयपुर, राजस्थान सरकार

कैटफ़िश (Catfish)

यह बांध की तलहटी में निवास करने वाली सर्वभक्षी एवं सफाईकर्ता मछलियाँ हैं। इनका शरीर मजबूत और संवेदी बार्बेल्सयुक्त होता है जिनकी वजह से ये कम ऑक्सीजन वाले गभीर जल में भी कुशलतापूर्वक निवास कर पाती हैं (अल–नुसिअर एट अल, 2022)।

सिंघाड़ा (Water Chestnut Fish)

इस मछली का शरीर 40 से 50 सेमी० का होता है जिस पर कम संख्या में किन्तु महीन काँटे होते हैं। कम काँटों के कारण इस मछली को स्थानीय स्तर पर काफी पसंद किया जाता है।

कतला (Katla)

यह मीठे पानी की मछली है जिसे आमतौर पर नदियों एवं बांधों में पाला जाता है। यह प्रोटीन एवं ओमेगा–3 फैटी एसिड से भरपूर तथा कम वसायुक्त मछली है (सिंह एट अल., 2018)। यह मछली विटामिन–ए, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन का अच्छा स्रोत है। इसका मुँह बड़ा और आगे की ओर निकला होता है। सामान्यतः इसे हृदय और मस्तिष्कीय रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को खाने का सुझाव दिया जाता है। बीसलपुर बांध में 3 सेमी० से लेकर 4 फीट लंबी कटला मछली को पकड़ा जाता है।

बाम (Conger Eel)

इस मछली का शरीर सांप जैसा होता है। इसकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। इसकी त्वचा भूरे–नीले रंग की तथा चिकनी होती है। इसका मुंह आगे से नुकीला होता है। सामान्यतः यह एक रात्रिचर मछली है, अतः इसे पकड़ने का आदर्श समय रात्रिकाल होता है (मैनन एट अल, 1998)।

रोहू (Labeo rohita)

यह बीसलपुर बांध में पाई जाने वाली एक साइप्रिनिड मछली है जिसकी त्वचा चांदी के समान चमकीली होती है। इसका सिर ऊँचा तथा होठ झालरदार होते हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 1–2 मीटर होती है। यह सर्वभक्षी प्रकार की मछली है। इसका भोजन पादप प्लवक एवं जन्तु प्लवक होते हैं (जेना, 2009)। इसमें प्रोटीन एवं ओमेगा–3–फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। यह भारतीय लोगों द्वारा विशेष रूप से पसंद की जाने वाली मछली है।

लांची (Local Carp Species)

यह बीसलपुर बांध सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली एक स्वच्छ जल की मछली है। इसमें अन्य मछलियों की तुलना में हड्डियों की संख्या कम होती है अतः इसे बोनलैस मीट हेतु विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसे पकाना और खाना अन्य मछलियों की तुलना में आसान होता है।

पैकेजिंग और निर्यात

बीसलपुर बांध से पकड़ी गई मछलियों की पैकिंग कलेक्शन साइट्स पर बने स्टेशनों पर ही की जाती है। ऐसा किए जाने का मुख्य कारण पकड़ी गई मछलियों की शुद्धता एवं गुणवत्ता को बनाए रखना है। नस्ल, वजन और आकार के अनुसार मछलियों की छँटनी कर उन्हें कंटेनरों में भरा जाता है। कंटेनरों में भरने के दौरान बर्फ का प्रयोग किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकें। फिर इन कंटेनरों को ट्रकों में रखकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पैकेजिंग स्थल को प्राकृतिक रूप प्रदान किए जाने हेतु उसे खुला ही रखा जाता है ताकि बांध की नमीयुक्त हवा उसमें प्रविष्ट हो सके।

बांध से पकड़ी गई सभी प्रजाति की छोटी मछलियों को सुखा लिया जाता है। इन छोटी एवं सूखी मछलियों की उत्तरप्रदेश, प० बंगाल, असम, दिल्ली और उड़ीसा में भारी मांग है। इनका प्रयोग सलाद एवं अचार के रूप में किया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सूखी मछलियों का बाजार मूल्य 350 से 500 रु० प्रति किग्रा० है। इस प्रकार सामान्य मछलियों की तुलना में सूखी मछलियाँ अधिक प्रदान करती हैं।

बीसलपुर बांध से पकड़ी जाने वाली मछलियों को सिलीगुड़ी, असम, गोरखपुर, दिल्ली, हावड़ा आदि क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। हालांकि इन मछलियों के विदेशों में निर्यात के प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं।

मत्स्याखेट निषेध काल

जून से अगस्त महीनों का काल मछलियों के प्रजनन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होने के कारण बीसलपुर बांध क्षेत्र में प्रतिवर्ष 16 जून से 31 अगस्त तक मत्स्यन के कार्य को बंद रखा जाता है (ठेकेदार, साक्षात्कार, 9 सितंबर, 2025)। इस प्रकार वर्ष के लगभग 290 दिनों में ही मत्स्याखेट का कार्य किया जाता है।

समस्याएँ एवं सुझाव

- क्षतिग्रस्त नावों का प्रयोगः बांध में मत्स्याखेटन हेतु प्रयुक्त नावों की संख्या 450 है। इनमें से 100 नावें मोटर युक्त हैं जबकि शेष 350 नावें बगैर मोटर वाली साधारण प्रकार की हैं। इनमें से 50 नावें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं जिनका रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 नावें ऐसी हैं जिनकी हालत सही नहीं है किन्तु इन्हें चलाया जा रहा है। इस प्रकार क्षतिग्रस्त नावों के प्रयोग से उन पर्यटकों को जान का खतरा है जिनके लिए इन नावों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में मत्स्य विभाग द्वारा नावों की मरम्मत कराने को लेकर ठेकेदारों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा सकते हैं एवं दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।
- अवैध मत्स्याखेट और लावारिस जालः बीसलपुर बांध में अवैध मत्स्याखेट की गतिविधियाँ दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं। अवैध शिकारी उन दिनों में भी मत्स्याखेट करते देखे जा सकते हैं जब बांध में निषेध काल के चलते आखेट प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बांध में यत्र–तत्र विशाल लावारिस जालों तथा उनमें फँसी मछलियों को देखा जा सकता है। इससे मछलियों की संख्या तथा सरकार के राजस्व को निरंतर हानि हो रही है। समस्या के निदानस्वरूप मत्स्य विभाग द्वारा गश्तीदल की संख्या तथा उनके द्वारा गश्ती हेतु प्रयुक्त बोट्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लावारिस जालों की खोज कर बांध को उनसे मुक्त किया जा सकता है।
- बेखौफ शिकारीः मछलियों के शिकारी लचर नियमों एवं कानून की आड़ में बेखौफ हो चुके हैं। गश्तीदल और शिकारियों के बीच मुठभेड़ की स्थिति आए दिन जन्म लेती है। शोध के दौरान ऐसा पाया गया है कि गश्तीदल के पास आवश्यक संसाधनों की कमी है। ऐसे में मत्स्य विभाग द्वारा इन्हें लाइफ जैकेट्स, पैलेट गन्स, नाइट विजन उपकरण, आधुनिक सैटेलाइट वायरलैस आदि प्रदान कराए जा सकते हैं।
- खरपतवार की अधिकताः बांध में जलकुंभी का क्षेत्र विस्तार निरंतर जारी है ऐसे में मछलियों को उपलब्ध जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के कम होते जाने से उनकी आबादी कम हो रही है। समस्या के समाधान हेतु मत्स्य विभाग एवं ठेकेदारों द्वारा फ्लोटिंग वीड हार्वेस्टर मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

बीसलपुर बांध राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के शीर्ष मत्स्योत्पादक बांधों में से एक है। बांध में मौजूद बेशकीमती मत्स्य संपदा को केवल ठेकेदारों के भरोसे छोड़ा जाना कहीं–न–कहीं मत्स्यन के प्रति राज्य सरकार

की बेरुखी एवं उपेक्षित रवैये को इंगित करती है। इसके अतिरिक्त बांध में ठेका प्रणाली भी निरंतरता के साथ संचालित नहीं रही है। ऐसे में यदि राज्य सरकार द्वारा बांध को ठेका प्रणाली से मुक्त करते हुए मत्स्यन प्रबंधन को प्रत्येक स्तर पर स्वयं के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यदि लिया जाता है तो निश्चितरूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची

1. अल–नुसिअर, ए. एन. अबेद, आर. आई., एण्ड अब्दुलसमद, एस. (2022)। हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ़ मैक्सिलरी बार्बेल्स इन सिल्यूरस ट्रायोस्टेगस एण्ड हीट्रोप्नीअस्टस फोसिल्स; सिल्यूरिफोर्म्सद्ध फिश कलेक्टेड फ्रॉम बसरा सिटी वॉटर्स। समारा जर्नल ऑफ प्योर एण्ड एप्लाइड साइंसेज, 4(2)।
2. ऑफिस ऑफ एडीशनल चीफ इंजीनियर, वॉटर रिसोर्सेज विभाग, राजस्थान सरकार, 2020। बीसलपुर बांध पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ड्राफ्ट रिपोर्ट), विश्व बैंक।
3. कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार (2020, फरवरी)। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) प्रू बीसलपुर बांध पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ड्राफ्ट रिपोर्ट), जल संसाधन क्षेत्र, जयपुर, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित।
4. जनगणना संचालन निदेशालय, राजस्थान (2011). जिला जनगणना पुस्तिका, टोंकरू ग्राम एवं नगर निर्देशिका (भाग ग्प्–ए) (श्रृंखला 09, राजस्थान), रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त, भारत।
5. निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार (2022, 19 जुलाई)। आदेश संख्या। एफ 2(4) निम/लेखा/ठेका/2022–23/5053, सरकारी आदेश, जयपुर, राजस्थान
6. फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस (2009)। लोबियो रोहिटा, इन कल्चर्ड एक्वेटिक स्पीशीज फैक्ट शीट्स, जे. के. जेना।
7. मैनन, एन. जी. बालचंद्रन, के. एण्ड स्कारियाह, के. एस. (1998), द ईल्स एण्ड ईल फिशरीज ऑफ इंडिया (टेक्निकल एण्ड एक्स्टेंशन सीरीज नं. 157), सेंन्ट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन, भारत।
8. राजस्थान मत्स्य पालन नियम, 1958, राजस्थान मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 1997 और 2003, नियम 5(1)(ड़) द्वारा संशोधित (1958), राजस्थान सरकार।
9. सिंह, जी., भटनागर, ए., कल्ला, ए. और सिंह, ए. ए. (2018). एंजायमेटिक प्रोफाइलिंग एण्ड फीडिंग प्रिफरेंसेज़ ऑफ़ कटला (कटला कटला), रोहू (लेबिया रोहिटा) एण्ड मृगाला (सिरहिनस मृगाला) इन रूरल पोलिकल्चर पोण्ड्स. जर्नल ऑफ एक्वाकल्चर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, 9(10), आर्टिकल 553. ीजजचेरू/ /कवप.वतह/10.4172/2155–9546.1000553

Cite this Article

'अनिल वर्मा; डॉ० अभिषेक श्रीवास्तव" बीसलपुर बांध परियोजना में संचालित मत्स्यनः विकास और चुनौतियों का भौगोलिक अध्ययन", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:12, December 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i12003

Published Date- 02 December 2025